सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 42/2012

1– श्री मनोहरसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
2– श्री सांवरसिंह उर्फ सांवरा पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
3– श्रीमति राजी बैवा स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत) ––मृतक––
सभी निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———वादीगण

ब ना म

1– श्री मिश्री पुत्र स्व0 श्री छोगा जी जाति जाट
2– श्री हजारी पुत्र स्व0 श्री छोगा जी जाति जाट
क्रमांक संख्या 1 व 2 निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
3– श्री गजानन्द पुत्र श्री बालूराम जाति माली
4– श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बालूराम जाति माली
क्रमांक संख्या 3 व 4 निवासी छावनीप्रेट, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
5– उपपंजीयक ब्यावर जिला–अजमेर राज0
6– तहसीलदार, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
7– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

8– श्री रणजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
9– श्री गोपालसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
10– श्री रामसिंह उर्फ रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
11– श्री नौरतसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)
क्रमांक संख्या 8 से 11 निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर

———प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 01–05–2019

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए कि मौजा ग्राम ब्यावर खास पटवार क्षैत्र ब्यावर खास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ब्यावर में वर्णित साबिक खसरा नंबर 1572 रकबा 00–00–10, हाल खसरा नंबर 2332/1 रकबा 00–00–10 किस्म बा–2, साबिक खसरा नंबर 1569 रकबा 01–06–00 हाल खसरा नंबर 2332/2 रकबा 01–06–00 कुल रकबा 01–06–10 भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों के साबिक खसरा नंबर 1572 की भूमि कुल रकबा 06–01–10 के भू संशोधन के दौरान दो नये खसरा नंबर बने जिसमें से 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नाया नंबर 2317 बना एंव शेष 10 बिस्वांसी भूमि का नाया नंबर 2332 बना। इन दोनो नये खसरा नंबर में से खसरा नंबर 2317 तो वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री धन्ना जी व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारीसान वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 के नाम दर्ज हो गया, परन्तु 10 बिस्वांसी भूमि वाला नया खसरा नंबर 2332 की भूमि भू संशोधन के दौरान राजस्व कर्मियो की त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खसरा नंबर 2332/1 के रूप में दर्ज कर दी गई जो कि राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 से स्पष्ट है। यह खसरा नंबर 2332/1 रकबा 10 बिस्वांसी की भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज स्व0 धन्ना जी एंव उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारीसान वादीगण

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 ही चले आ रहे है, एंव मौके पर भी उन्ही का कब्जा चला आ रहा है। खसरा नंबर 2332/2 जो कि साबिक खसरा नंबर 1569 जिसका कुल रकबा 06–02–00 से बना खसरा नंबर 1569 की भूमि सरकारी भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में बतौर पहाडी व पर्वत के रूप में दर्ज थी इस साबिक खसरा नंबर 1569 की भूमि में से 01–06–00 भूमि जिसका नया नंबर 2332/2 बना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवंटित की जाकर खातेदारी प्रदान की गई। इस प्रकार खसरा नंबर 2332/1 के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे एंव खसरा नंबर 2332/1 की भूमि के स्व0 धन्ना व उनके वारीसान खातेदार चले आ रहे है, परन्तु खसरा नंबर 2332/2 के राजस्व अभिलेख में स्व0 धन्ना जी व उनके वारीसान के स्थान पर त्रुटीवश प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज होता रहा है। उक्त खसरा नंबर 2332/1 की भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नही है। राजस्व अभिलेख में हो रखे गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में अवेध दस्तावेज निष्पादित एंव पंजीकृत करवा दिया एंव इस अवेध दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम दर्ज चला आ रहा है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्व0 धन्ना व उनके वारीसान के हक अधिकार की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि को किसी प्रकार से हस्तांतरित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हुआ व न ही है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में हुये नामान्तकरण संख्या 504/31.1.1996 पूर्णतया अवेध व शून्य है। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम दर्ज है, परन्तु मौके पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नही हुआ है। राजस्व मानचित्र में इन दोनो खसरा नंबर 2332/1 व 2332/2 की भूमियां अलग अलग रूप से दर्शित न होकर एक ही खसरा नंबर 2332 के रूप में दर्शित है। मौके पर इस खसरा नंबर 2332 की भूमि के पूर्वी और उत्तर से दक्षिण लगभग 15 फुट चौडा व 223 फुट लम्बा रास्ता विद्यमान है यह रास्ता इस खसरा नंबर 2332 के दक्षिणी ओर खसरा नंबर 2317 की सीमा से प्रारंभ होकर खसरा नंबर 2332 के उत्तरी और विद्यमान आम रास्ता की लम्बाई तक है अर्थात यह रास्ता खसरा नंबर 2332 की उत्तर से दक्षिण पूरी लम्बाई में विद्यमान है जो कि पूर्वी और खसरा नंबर 2306 व 2307 से सटाकर विद्यमान है। जिसे परिशिष्ट क में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसकी सीमाएं वाद पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित है। राजस्व मानचित्र में दर्शित खसरा नंबर 2332 की भूमि में से पूर्वी औश्र खसरा नंबर 2332/1 की 10 बिस्वांसी भूमि विद्यमान चली आ रही है। इस खसरा नंबर 2332/2 के दक्षिणी और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के खातेदारी हक अधिकार की खसरा नंबर 2317/1 व 2317/2 व 2318 की भूमियां विद्यमान चली आ रही है, जबकि राजस्व मानचित्र मे ये दोनो खसरा नंबर अलग अलग दर्शित न होकर सम्पूर्ण खसरा नंबर 2317 के रूप में ही दर्शित है। खसरा नंबर 2317/1 व 2317/2 व 2318 की भूमिया वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 की पैतृक भूमिया है। उक्त खसरान के उत्तरी और खसरा नंबर 2331 व 2332/1 व 2332/2 की भूमियां व उसके पश्चात उत्तरी और आम सडक विद्यमान है, जो कि ब्यावर शहर से ग्राम ब्यावर खास होते हुये ग्राम पींसागन जाने वाले मुख्य मार्ग से जाकर मिलती है। उक्त भूमियों पर आने जाने के लिये कोई रास्ता विद्यमान नही था।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

स्व0 धन्ना जी व उनके वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 अपने खातेदारी हक अधिकार की इन भूमियो में वर्तमान खसरा नंबर 2332/2 से होकर ही आते जाते थे एंव इस भूमि के एक भाग को जो कि पूर्वी और वर्तमान खसरा नंबर 2306 व 2307 से अडाकर विद्यमान है, को वर्तमान खसरा नंबर 2317 व 2318 की भूमियों में आने जाने हेतू रास्ते के रूप में उपयोग में लेते थे। राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नंबर 2332/2 की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने खसरा नंबर 2332 की अपने हक अधिकार की भूमि में से 4 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग उपभोग हेतू वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 के पिता व पति स्व0 धन्ना जी पुत्र भींया जी के हक में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.3.1976 में बेचान कर दिया व मौके पर खरीददार का कब्जा करवा दिया। खरीदशुा 4 बिस्वा भूमि की सीमांए पूर्व में पडत व भूमि रूप मोडा गुर्जर की खसरा नंबर 2306 व 2307, पश्चिम में खसरा नंबर 2332 का बकाया भाग, उत्तर में आम सडक, दक्षिण में भूमि धन्ना पुत्र भींया की खसरा नंबर 2332/1, 2317, 2317 की। उक्त 4 बिस्वा भूमि को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमियों में आने जाने हेतू रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में ले रहे है उक्त 4 बिस्वा भूमि मौके पर रास्ते के रूप में विद्यमान है। उक्त 4 बिस्वा भूमि में विद्यमान रास्ते का उपयोग उपभोग गत 40 सालो से अधिक समय से स्व0 धन्ना एंव उनके वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 करते चले आ रहे है। उक्त र रास्ते के उपयोग व उपभोग बाबत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व/या अन्य किसी भी व्यक्ति द्धारा पूर्व में कभी भी किसी प्रकार से उज्र एतराज नही किया क्योकि स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्धारा यह भूमि बएवज प्रतिफल बेचान की गई। स्व0 धन्ना जी एंव वादीगण सदैव यही समझते रहे कि विक्रय विलेख दिनांक 24.3.1976 के जरिये वादग्रस्त भूमि में से खरीदी गई 4 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्शित है बाबत स्व0 धन्ना जी व उनके वारीसान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 गरीब, ग्रामीण कृषकगण है उन्हें राजस्व अभिलेख की पूरी जानकारी नही है। इसी कारण उनके द्धारा कभी भी इस संबंध में राजस्व अभिलेख की जानकारी नही की गई है। दिनांक 3.2.2012 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मौके पर आये एंव वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 की खातेदारी हक अधिकार की खरीदशुदा 4 बिस्वा भूमि पर विद्यमान रास्ते को अवरूद्ध करने की नियत से कांटे डालने लगे एंव उस पर जबरन कब्जा करने लगे एंव खसरा नंबर 2332/1 की 10 बिस्वांसी भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही करने व रास्ता अवरूद्ध नही करने हेतू आगाह किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 नही माने इन लोगो ने वादीगण को धमकी दी कि खसरा नंबर 2332/1 व 2332/2 की सम्पूर्ण भूमि हमारे द्धारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से क्रय की गई है। दुबारा बेचान करने का हक अधिकार नही है एंव न ही प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को यह 4 बिस्वा भूमि खरीदने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व0 श्री धन्ना जी पुत्र भीयां जी के हक में पूर्व में बेची गई खसरा नंबर 2332 की 4 बिस्वा भूमि का भी अंकन करवा लिया है। इस अवेध विक्रय विलेख के जरिये खरा नंबर 2332/1 व 2332/2 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भी सम्पूर्ण रकबे बाबत अपना नार्म दर्ज करवा लिया। इस 4 बिस्वा भूमि पर भी जबरन अतिक्रमण करके रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 अपने मंसूबो में कामयाब होकर मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 के खातेदारी हक अधिकार की खरीदशुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जाते

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
बावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, बावर

है, व मौके पर विद्यमान रास्ते को अवरूद्ध कर देते है तो वादीगण अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमियो में प्रवेश करने से ही वंचित हो जायेंगे क्योकि वादीगण को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमियों में प्रवेश करने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 काफी धनबल व प्रभावशाली लोग है जो कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है, कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये निषेधाज्ञा पांबद किया जावे अन्यथा प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी कृत्य में सफल हो जायेंगे व अपने प्रभाव व सामर्थ्य का नाजायज फायदा उठाते हुये वादीगण की खातेदारी की भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लेंगे। जिससे वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे। अतः यह घोषित किया जावे कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 2332/1 जो कि साबिक खसरा नम्बर 1572 से बना है, की दस बिस्वांसी भूमि जिसका वर्णन वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित है, के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 खातेदार काश्तका है। यह घोषित किया जावे कि वादग्रस्त ख.नं. 2332/2 में से चार बिस्वा भूमि जिसका वर्णन वादपत्र के पद संख्या 6 में वर्णित है व संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शित है, के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 खातेदार काश्तकार है। यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को इस चार बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार से नाजायज अतिक्रमण करने का व इस भूमि पर विद्यमान रास्ते को अवरूद्ध करने का अधिकार नहीं है। यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के पूर्वज श्री धन्नाजी पुत्र श्री भींयाजी के हक में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.03.1976 के जरिये बेचान की गई चार बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में दुबार बेचान करने का हक अधिकार नहीं था। इस बेचान दिनांक 19.12.1995 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के हक अधिकार की उक्त वर्णित वादग्रस्त चार बिस्वा भूमि की सीमा तक अवैध व शून्य घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 2332/1 रकबा 10 बिस्वांसी भूमि बाबत् बेचान दिनांक 19.12.1995 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के हक अधिकार की सीमा तक अवैध व शून्य घोषित किया जावे। यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 19.12.1995 के आधार पर राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण सं. 504 दिनांक 31.01.1996 को वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 से 11 के हक अधिकार की उक्त वर्णित वादग्रस्त खसरा नं. 2332/1 रकबा 10 बिस्वांसी व खसरा नं. 2332/2 रकबा 4 बिस्वांसी भूमि की सीमा तक अवैध व शून्य है। इस नामान्तरकरण को ख.नं. 2332/1 व ख.नं. 2332/2 की भूमि की सीमा तक निरस्त किया जावे। खसरा नम्बर 2332/1 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 से 11 का नाम दर्ज किया जाने हेतु एवं राजस्व मानचित्र को तरमीम किया जाकर ख.नं. 2332/1 दस बिस्वांसी भूमि को अलग से दर्शित किये जाने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार ब्यावर को निर्देशित किया जावे। ख.नं. 2332/2 की चार बिस्वा भूमि बाबत् राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 से 11 का नाम दर्ज किया जाकर अलग से खाता खोले जाने हेतु एवं ख.नं. 2332 के राजस्व मानचित्र को भी वादपत्र के पद सं. 2 व 5 में वर्णितानुसार व परिशिष्ट "क" में दर्शितानुसार तरमीम किया जाकर चार बिस्वा भूमि को अलग से दर्शित किये जाने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार ब्यावर को निर्देशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा प्रति. सं. 6 से 10 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके जवाब हक बन्द किये गये।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादीगण ने व्यथ ही उक्त भूमियों को वादग्रस्त अंकित किया है। वादग्रस्त आराजी से वादीगण अथवा प्रतिवादी नम्बर 1 से 8 अथवा उनके पूर्व का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। वादीगण द्वारा वादपत्र में जो कथन किए गए हैं वे गलत व मिथ्या होने अस्वीकार है। भूमि ख.नं. 2332/1 प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम किसी गलती से अंकित नहीं की गई, बल्कि उनके नाम उक्त भूमि बिल्कुल सही अंकित चली आ रही थी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। वादग्रस्त भूमियां चिरकाल से ही प्रतिवादी नं. 1 व 2 के ही कब्जे काश्त में चली आ रही थी, अतः उन्हें ही गैर खातेदारी से खातेदार के अधिकार प्रदान किये गये जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण प्रविष्टि सं. 461 दिनांक 19.05.1995 प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम की गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे तथा वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा काश्त या अधिकार नहीं रहा है। ख.नं. 2332/1 कभी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम गलती या त्रुटि से अंकित नहीं की गई, बल्कि उनका चिरकाल से कब्जा चले आने के कारण ही उन्हें उक्त भूमि में गैर खातेदारी से खातेदार अधिकार प्रदान किये गये थे। प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा जो भूमि उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को विक्रय की गई थी वह बिल्कुल सही विक्रय की गई थी जिसका कि उन्हें पूर्ण अधिकार था। वादीगण ने यह भी अंकित नहीं किया कि उक्त भूमि कब व किस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की गई। उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा अन्य भूमियों के साथ जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.12.1995 के द्वारा उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को विक्रय कर उक्त भूमि का वास्तविक एवं भौतिक रिक्त आधिपत्य भी उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को संभलाया गया था। तबसे ही उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उन्हीं का ही कब्जा निरन्तर रूप से बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। अतः भी उन्हें कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तानुसार मालिकाना अधिकार हासिल हो चुके हैं, अतः भी अब वादीगण कानूनन कोई वाद लाने अथवा कोई कार्यवाही करने से पूर्णतया एस्टोप्ड है, अतः भी वादीगण का वाद इसी आधर पर निरस्त होने योग्य है। उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज तथा उसके अनुसरण में करवाया गया नामान्तरकरण कत्तई भी अवैध नहीं है। वादीगण द्वारा वर्णित तौर पर जो रास्ते का विवरण अंकित किया गया है तथा जो सीमायें अंकित की गई है वह गलत एवं झूंठी है तथा वर्णित परिशिष्ट (क) में किसी भी अवस्था में साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 2332/1 वादीगण अथवा प्रतिवादी नम्बर 8से 11 की पैतृक भूमि नहीं है और ना कभी रही है और ना ही वादग्रस्त भूमि के वादीगण के पूर्वज धन्ना जी कभी खातेदार काश्तकार रहे बल्कि चिरकाल से ही वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही

................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

थी तथा उनके कब्जे को देखते हुए उन्हें गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। वादीगण स्वयं के अनुसार ही वादीगण के पास उनकी भूमि में आने जाने हेतु अलग से रास्ता विद्यमान चला आ रहा है, अतः भी वादग्रस्त आराजी में से आने जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण ने इस पद में वर्णित कथन भी येनकेन प्रकारेण वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2332/2 पर नाजायज कब्जा करने की आड में अंकित कर दिये हैं जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2332/2 में वादीगण के लिये कोई रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है। वास्तविकता में भूमि खसरा नं. 2332/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा संपूर्ण भूमि प्रतिवादी नं. 1 व 2 के ही कब्जे में चली आ रही है तथा उनके द्वारा उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को विक्रय किये जाने के पश्चात् अब उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही है। वादीगण एकतरफ उक्त 4 बिस्वा भूमि को रास्ते के लिय खरीद किया जाना बतला रहे हैं तथा दूसरी तरफ इसी पद में उक्त 4 बिस्वा भूमि में काश्त करना अंकित कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के सर्वथा विरोधाभासी है। वाद के पद नम्बर 10 में वादीगण एकतरफ कोई रास्ता ही विद्यमान नहीं होना अंकित कर रहे हैं तथा दूसरी तरफ इस पद में ख.नं. 2317 रास्ते के रूप में विद्यमान होना अंकित कर रहे हैं तथा इस बाबत् राजस्व मानचित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे भी वादी के कथन अपने आप में ही विरोधाभासी प्रमाणित हो जाते हैं। वादीगण अथवा उनके पूर्वज धन्ना जी कत्ताई भी सदभाविक क्रेता तो क्या क्रेता की ही श्रेणी में नही आते है, और ना ही उन्होने कोई भूमि ही कभी क्रय की है, इसके विपरित वादग्रस्त भूमि के उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण ही प्रतिफल के बदले सदभाविक क्रेता चले आ रहे है, तथा उन्ही का ही कब्जा काश्त, उपयोग एंव उपभोग चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई भी वादीगण के पूर्वजो को विक्रय नही की गई थी बल्कि उन्हें तो खातेदारी अधिकार ही वर्ष 1995 में प्राप्त हुये थे अतः ही सन् 1976 में भूमि विक्रय किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 काफी चतुर एंव चालाक व्यक्ति है, तथा वे ऐनकेन प्रकारेण झूंठी कार्यवाही की आड में वादग्रस्त भूमियों को हडपने पर आमादा है। जबकि वादीगण को राजस्व रेकार्ड की तथा मौके की जानकारी स्थिति की जानकारी प्रारंभ से ही थी। इस कारण वादीगण अब कोई वाद लाने अथवा कोई कार्यवाही करने से पूर्णतया एस्टोप्ड है। प्रतिवादीगण ने वर्णित तौर पर कोई कब्जा करने का प्रयास नही किया बल्कि उनका वादग्रस्त भूमियो पर खरीद के दिवस से ही लगातार अनवरत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः ही कब्जा करने का कथन अपने आपमें ही गलत व झूंठा प्रमाणित हो जाता है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को किसी तरह की कोई धमकी नही दी धमकि दिये जाने एंव अन्य सभी कथन भी पूर्णतया काल्पनिक आधार पर अंकित किये गये है। प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज किसी भी अवस्थज्ञा में अवेध अथवा शून्य नही है, और ना हो ही सकता है उक्त दस्तावेज विधि में पूर्ण प्रभावी एंव वैद्य दस्तावेज है जो अनवरत रूप से प्रभावी एंव कायम चला आ रहा है। वादीगण के पास पूर्व से ही खसरा नंबर 2317 के रूप में वादीगण स्वंय के कथानानुसार रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। अतः ही उन्हें किसी रास्ते की कोई आवश्यकता ही नही है। वादीगण रास्ते की आड में वादग्रस्त भूमि को हडपना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पूर्णतया सही एंव वैद्य दस्तावेज है तथा उनके अनुसरण में किया गया नामान्तकरण भी पूर्णतया वैद्य एंव प्रभावी है । प्रतिवादीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार हांसिल है तथा इस हेतू उन्हें वादीगण से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता ही नही है। निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से वादीगण को किसी तरह की कोई क्षति नही होगी। वादीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया केस प्रमाणित नही है, और ना ही कोई सुविधा का सन्तुलन ही वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। वादीगण क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय में उपस्थित नही आये है, बल्कि सर्वथा ही गलत एंव झूंठे तथ्यो के आधार पर वादग्रस्त भूमियो पर नाजायज कब्जा करने की नियत से उपस्थित आये है। वादीगण के हक में मौजूदा वाद बाबत कभी भी कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ तथा वादीगण ने वाद में वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख भी गलत एंव झूंठी अंकित है। वादीगण ने मौजूदा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 व 7 को धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र नही दिया जो कि दिया जाना आवश्यक व बंधनकारी प्रावधान है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद जो कि मियाद बाहर है को जिसमें कि वादीगण को यह बताना आवश्यक है, कि वाद किस कानून के तहत अन्दर मियाद है परन्तु वादीगण ने अपने इस कानूनी दायित्व का निर्वहन नही किया है। इसलिये वाद किस कानून के तहत अन्दर मियाद है। अतः भी वाद खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण को कानूनन सर्वप्रथम उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त घोषित करवाना आवश्यक था इस हेतू सक्षम न्यायालय में वाद दायर करते हुये वादग्रस्त भूमि की वास्तविक कीमत जो कि 50 लाख रूपये से अधिक की है, पर न्यायशुल्क अदा करना आवश्यक था जो कि वादीगण ने नही किया है अतः भी वादीगण का वाद किसी भी अवस्था में पोषणीय नही रह जाता है। अतः वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे व खर्चे तथा विशेष खर्चे सहित खारीज फरमाया जावे तथा उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को वादीगण से विशेष हर्जा एंव खर्चा प्रदान किया जावे।

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित कुल 7 तनकियात कायम की गई।

प्रकरण में उक्तानुसार तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य वादी तलब की गई साक्ष्य वादी में मनोहरसिंह पुत्र स्व0 धन्नासिंह जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी ग्राम ब्यावर खास का एंव गवाह सुखपाल पुत्र हांसा जी जाति जाट निवासी ग्राम ब्यावर खास का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया गया। जिसनें अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का कथन किया। और वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2059 से 2062 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2066 से 2069 प्रदर्श–2, नामान्तकरण संख्या 504 प्रदर्श–3, बेचाननामा दिनांक 24.3.1976 प्रदर्श–4 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–4 ए है। राजस्व मानचित्र प्रदर्श–5, मौके के डिजिटल कैमरे से खीचे फोटो प्रदर्श–6 लगायत प्रदर्श–10, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–11, जमाबंदी संवत 2023 से 2026 प्रदर्श–12, वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–13, वाद पत्र के साथ परिशिष्ट "क" प्रदर्श–14 है। जो पी0डब्लयू–1 के बयानो में उक्त दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया गया।

प्रकरण मे साक्ष्य वादी की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी तलब की गई साक्ष्य प्रतिवादी में रामचन्द्र पुत्र बालूराम जाति माली निवासी छावनी प्रेट ब्यावर एंव गजानन्द पुत्र बालूराम जाति माली निवासी छावनी प्रेट ब्यावर ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का शपथ पत्र पेश कर अपने जवाबदावे के कथनो को दोहराते हुये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

प्रकरण मे साक्ष्य के पश्चात् उभयपक्षान की बहस अंतिम सुनी गई। बहस में वादीगण के अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा वितर्क में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाबदावे के कथनो को दोहराते हुये वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद को खारिज़ किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 73 में अंकित खसरा संख्या 2332/1 रकबा 00–00–10 किस्म बा.2, 2332/2 रकबा 01–06–00 किस्म बा.3 गजानन्द रामचन्द्र पि. बालूराम कौम माली चौहान सा. छावनी ब्यावर के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2066–69 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 618 में अंकित खसरा संख्या 2317/1 रकबा 06–01–00, 2317/2 रकबा 00–10–00, 2318 रकबा 00–13–10, 2336/1 रकबा 03–07–10, 2336/2 रकबा 00–16–00 सांवरा रामसिंह गोपाल रणजीतसिंह पि. धन्ना 4/7 हि. मनोहरसिंह वल्द धन्ना 3/7 हि. जाति दरोगा सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 नामान्तरकरण रजिस्टर संख्या 504 दिनांक 31.01.1996 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 2332/1 रकबा 00–10–00, 2332/2 रकबा 01–06–00 मिश्री हजारी पि. छोगा कौम जाट सा. देह के स्थान पर गजानन्द व रामचन्द्र पि. बालूराम कौम माली चौहान निवासी छावनी ब्यावर के नाम नामान्तकरण जरिये बेचान दिनांक 19.12.1995 के आधार पर दर्ज होना अंकित है। प्रदर्श–4 बेचाननामा दिनांक 24.03.1976 है जिसमें श्री मिश्री व श्री हजारी पिसरान श्री छोगा जी अवकाम जाट साकिनान ब्यावरखास द्वारा खसरा संख्या 2332 मि. रकबा 00–04–00 किस्म बा.3 को राशि रू. 300/– में क्रेता श्री धन्ना वल्द श्री भीयांजी जाति रावणा राजपूत निवासी ब्यावर खास तहसील ब्यावर को बेचान किया जाना दर्ज है जिसके एक्स स्थान पर मिश्री की अंगूठा निशानी व वाई स्थान पर हजारी की अंगूठा निशानी अकित है। प्रदर्श–5 नक्शा किश्तवार संवत् 2028 की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श– 6 से 10 छायाचित्र (फोटोग्राफ) है। प्रदर्श–11 तुलनात्मक (मिलान) क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है जिसमें साबिक खसरा संख्या 1569 रकबा 06–07–00 के हाल वर्तमान नम्बर 2306 रकबा 01–09–00, 2334 रकबा 01–07–00, 2307 रकबा 00–13–00, 2232 रकबा 01–06–00, 2331 रकबा 00–02–00, 2333 रकबा 00–14–00, 2336 रकबा 00–16–00 बने हैं तथा साबिक खसरा संख्या 1572 रकबा 06–01–10 के हाल वर्तमान नम्बर 2317 रकबा 06–01–00, 2331 रकबा 00–00–10 बने हैं। प्रदर्श–12 जमाबंदी संवत् 2023–26 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 01/344 में अंकित खसरा संख्या 1568 रकबा 03–07–10, 1572 रकबा 06–01–10 धन्ना वल्द मियां कौम दरोगा सा. देह के नाम दर्ज है। प्रदर्श–13 वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 122 में अंकित खसरा संख्या 2332/1 रकबा 2332/1 रकबा 00–00–10, 2707 रकबा 01–17–10, 2709 रकबा 01–15–00, 2718 रकबा 00–14–00, 2719 रकबा 03–14–00, 2722 रकबा 00–10–00 मिश्री व हजारी पि. छोगा जाति जाट नि. देह के नाम दर्ज है। प्रदर्श–14 परिशिष्ट–क है जिसमें लाल स्याही से रास्ता होना दर्शित किया हुआ है। प्रदर्श– 1 पीडब्ल्यू–2 स्वतंत्र गवाह श्री सुखपाल द्वारा प्रस्तुत ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 259 में अंकित खसरा संख्या 283 व 287 नारायण व सुखपाल पि. हांसा जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है।

.....लगातार

(जसवीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कोई अपनी साक्ष्य मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उक्त समस्त विवेचन व बहस के आधार पर तनकियात निम्नानुसार तय की जाती है :-

तनकी संख्या–1 आया वाद पत्र में वर्णित मौजा ब्यावर खारा में स्थित वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2332/1 रकबा 00–00–10 जो कि साबिक ख.नं. 1572 से बना है, में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ? .....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है जिन्होंने उक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्श–12 जमाबंदी संवत् 2023–26 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 01/344 में अंकित खसरा संख्या 1568 रकबा 03–07–10, 1572 रकबा 06–01–10 धन्ना वल्द भियां कौम दरोगा सा. देह के नाम दर्ज है जिसमें धन्ना की वल्दियत पर कटिंग की गई है। प्रदर्श–11 मिलान क्षेत्रफल अनुसार वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 1572 के हाल वर्तमान नम्बर 2317 रकबा 06–01–00, 2332 रकबा 00–00–10 होना दर्ज है। प्रदर्श–13 वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में उक्त वर्तमान खसरा संख्या 2332/1 रकबा 00–00–10 किस्म बा.3 मिश्री व हजारी पि. छोगा जाति जाट नि. देह के नाम दर्ज है।

वादी श्री मनोहरसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में कथन किए हैं कि यह जमीन सरकारी थी जो मिश्री व हजारी के नाम कब चढ़ी मुझे मालूम नहीं, इनके नाम चढने के बाद मेरे पिताजी ने खरीदी। यह सही है कि वादग्रस्त जमीन रामचन्द्र व गजानन्द ने सन् 1996 में खरीदी। यह कहना गलत है कि मौके पर 2332/1, 2332/2 दो अलग–अलग खेत नहीं होकर मौके पर एक ही खेत हो। 2332/1 के उत्तर में आम सड़क, दक्षिण में 2317 की जमीन है तथा पूर्व में रूपा/मोडा गुर्जर की जमीन पश्चिम में 2332/2 की जमीन जिसमें से विवादित रास्ता निकल रहा है। यह कहना गलत है कि 2332/1 दस बिस्वांसी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जा होने के कारण इनको आवंटित हुई हो। अजखुदकहा कि यह हमारे खातेदारी साबिक नं. 1572 से बना है।

इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह श्री सुखपाल पुत्र श्री हांसा जाति जाट ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में कथन किए हैं कि मेरी ब्यावरखास में 10–12 बीघा जमीनें है। मेरे खेत के खसरा नम्बर 283, 479, 1417–18 हैं। मैं वादीगण का खेत बोता था इसलिए बयान देने आया हूँ। मैं मनोहर के कहने से बयान देने आया हूँ। मैने वादीगण का खेत सन् 2009 से 2011 में बोया था, खेत बोने की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। मैं विवादग्रस्त खसरा संख्या 2332 का रकबा नहीं बता सकता अजखुद कहा कि 7–8 बीघा जमीन है। परिशिष्ट क में विवादित खसरा के पास में खसरा संख्या 283, 287 नहीं है। वादग्रस्त खसरा को मनोहर सिंह बोते हैं, गजानन्द रामचन्द्र नहीं बोते हैं। यह सही है कि गजानन्द व रामचन्द्र ने मिश्री व हजारी से जमीनें मोल ली थी।

प्रतिवादी संख्या 3 श्री गजानन्द पुत्र श्री बालूराम ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में कथन किए हैं कि वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 2332/1 रकबा 10 बिस्वांसी जमीन दिसम्बर 1995 में खरीदी। यह जमीन हमने मिश्रीलाल व उसके भाई हजारी से खरीदी है। मैं यह नहीं बता सकता कि साबिक ख.नं. 1572 से बना नया नम्बर 2332 रकबा 10 बिस्वांसी जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया उसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचने का अधिकार नहीं था अजखुद कहा कि मैने जमाबन्दी देखकर भूमि खरीदी है। मैं विवादित भूमि पर आता जाता हूँ।

लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उक्त समस्त दस्तावेज व साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण अनुसार वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि साबिक खसरा संख्या 1572 से जो नया नम्बर 2332 रकबा 00–00–10 बिस्वांसी बना है वह क्रय किया गया हो। जब प्रदर्श–12 में अंकित भूमियों के खातेदार में धन्ना वल्द भियां की वल्दियत में कटिंग होना अंकित है, इसके पहले की कोई जमाबन्दी व मालिकाना हक का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वतंत्र गवाह ने भी वादग्रस्त भूमि को बोये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही परिशिष्ट क में अंकित राजस्व नक्शा में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2332 के आस–पास स्वतंत्र गवाह की कोई भूमियां रही हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त भूमि सेटलमेंट के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है एवं इसके पश्चात् बेचान से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट वर्ष 1971 से वाद दायरी वर्ष 2012 के बीच वादीगण अथवा उनके पूर्वज ने कोई वाद उक्त खसरा बाबत् प्रस्तुत किये जाने के भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं लगभग 41 वर्ष बाद यह वाद प्रस्तुत किया गया है जो उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या–2 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2332/2 में 4 बिस्वा भूमि जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के पूर्वज श्री धन्नाजी ने जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 24–03–1976 से क्रय की है जिसका वर्णन वाद पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित है, में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ? .....वादीगण

तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर रहा है। वादग्रस्त खसरा संख्या 2332/2 जिसका रकबा प्रदर्श–1 अनुसार 01–06–00 दर्ज है एवं प्रदर्श– 11 मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा संख्या 2332 रकबा 01–06–00 के साबिक खसरा नम्बर 1569 रहे हैं। प्रदर्श–4 पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 24.03.1976 से खसरा नम्बर 2332 मिन रकबा 00–04–00 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से वादीगण के पिता द्वारा क्रय किया जाना अंकित है। परन्तु वर्ष 1976 या उससे पूर्व में उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र की पद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि खसरा संख्या 2332/2 जो कि साबिक खसरा संख्या 1569 से बना है, की भूमि सरकारी भूमि थी जिसका कुल रकबा 06–02–00 था, से बना है। खसरा संख्या 1569 की भूमि सरकारी भूमि थी, जो कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2023–26 में बतौर पहाड़ी व पर्वत के रूप में दर्ज थी जिसका कि नया नम्बर 2332/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को आवंटित की जाकर खातेदारी प्रदान की गई। उक्त पद संख्या 2 में किये गये कथनों के आधार पर उक्त भूमि खसरा संख्या 2332/2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सरकार द्वारा कब आवंटित की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को गैर खातेदारी अधिकार कब मिले तथा कब गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जिसके अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत बेचाननामें की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। प्रदर्श–4 बेचाननामा दिनांक 24.03.1976 के समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व अभिलेखों में मालिकाना हक रखते थे अथवा नहीं? ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल मौखिक कथन किए गए हैं जो मान्य नहीं है। वादीगण द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में केवल मौखिक कथनों को आधार बनाकर बयान दिये हैं जो दस्तावेजात् के अभाव में उनके बयानों की पुष्टि नहीं करता है। यह तनकी वादीगण अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय पाई जाती है।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....लगातार

तनकी संख्या–3 आया वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2332/2 रकबा 0–04–00 व खसरा नंबर 2332/1 रकबा 00–00–10 पर किये गये बेचाननामें दिनांक 19.12.1995 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के हक अधिकार की सीमा तक अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाने तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 31.01.1996 को किया गया नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के अधिकार की सीमा तक निरस्त करवाने व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के स्थान पर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करवाने तदनुरूप राजस्व मानचित्र में तरमीम करवाने के अधिकारी हैं?

.....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है एवं जो बेचाननामा दिनांक 24.03.1976 को किया गया है, उसके संबंध में विक्रेता के मालिकाना हक का अभाव रहा है एवं जो बेचाननामा दिनांक 19.12.1995 को किया गया है जिसके आधार पर किया गया नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 31.01.1996 विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दर्ज किया गया है जो राजस्व अभिलेखों में हुए इन्द्राजात के आधार पर ही किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण बेचाननामा दिनांक 19.12.1995 व उसके आधार पर हुए नामान्तकरण निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं एवं उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय पाई जाती है।

तनकी संख्या–4 आया वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2332/1 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही थी जिसे उन्हें गैरखातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये एवं इसी के अनुसरण में नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 461 दिनांक 19.05.1995 अंकित होने से एवं तत्पश्चात् पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 05.12.1995 से क्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ही खातेदार काश्तकार है। वर्ष 1995 से पूर्व जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार ही प्राप्त नहीं हुए तो वर्ष 1976 में भूमि विक्रय नहीं की जा सकती है, अतः वादी का वाद निरस्त योग्य है ?

.....प्रतिवादी संख्या 3 व 4

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पर रहा है। हांलांकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, परन्तु उक्त संबंध में तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 3 व 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण तय पाई जाती है।

तनकी संख्या–5 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2332/2 में वादीगण के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा है बल्कि उनके पास अन्य रास्ता पूर्व से ही विद्यमान चला आ रहा है एवं उक्त भूमि बाबत् किया बेचाननामा फर्जी एवं कूटरचित है। उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण वर्ष 1995 से ही वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं अतः भी उन्हें कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तानुसार मालिकाना अधिकार हासिल हो चुके है। अतः भी अब वादीगण कानूनन कोई भी वाद लाने अथवा कोई कार्यवाही करने से पूर्णतया एस्टोप्ड है एवं वादीगण का वाद इसी आधार पर निरस्त योग्य है ?

.....प्रतिवादी संख्या 3 व 4

लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पर रहा है। हांलांकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 में खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 खातेदार दर्ज है एवं प्रदर्श–3 से प्रतिवादीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 31.01.1996 में बेचाननामें के आधार पर अंकन हुआ है। खसरा नम्बर 2332 में कोई रास्ता दर्ज रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने मौखिक कथन किए हैं कि 2332/2 में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है बल्कि इसके पास अन्य कोई रास्ता पूर्व से ही मौजूद है, जो प्रदर्श–14 परिशिष्ट क में अंकित एक्स से बाई दर्शाया गया है। जहां तक बेचाननामा फर्जी व कूटरचित होने के कथन है, वह सक्षम न्यायालय में बेचाननामें के निरस्तीकरण का वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। यह तनकी उक्त आशय के साथ तय की जाती है।

तनकी संख्या–6 आया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 के पक्ष में तथा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियों में जबरन कब्जा नही करें तथा विद्यमान मार्ग को अवरूद्ध नहीं करे तथा न ही अन्यत्र बेचान करे ? .....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण स्वयं के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष–7

उक्त समस्त साक्ष्य विवेचन एवं तनकियात के आधार पर वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः यह वादीगण का यह वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01-5-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2012

1– श्री मनोहरसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

2– श्री सांवरसिंह उर्फ सांवरा पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

3– श्रीमति राजी बैवा स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत) ––मृतक––

सभी निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

––––वादीगण

ब ना म

1– श्री मिश्री पुत्र स्व0 श्री छोगा जी जाति जाट

2– श्री हजारी पुत्र स्व0 श्री छोगा जी जाति जाट

क्रमांक संख्या 1 व 2 निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

3– श्री गजानन्द पुत्र श्री बालूराम जाति माली

4– श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बालूराम जाति माली

क्रमांक संख्या 3 व 4 निवासी छावनीप्रेट, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

5– उपपंजीयक ब्यावर जिला–अजमेर राज0

6– तहसीलदार, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

7– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर राज0

––––प्रतिवादीगण

8– श्री रणजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

9– श्री गोपालसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

10– श्री रामसिंह उर्फ रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

11– श्री नौरतसिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना जी जाति दरोगा (रावणा राजपूत)

क्रमांक संख्या 8 से 11 निवासी ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर

––––प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी................मिनजामिन मुददई रूबरू.................मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का यह वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी.................मुबलिक.................बाबत..............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 01-05-2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)

(जसमीतसिंह संधू)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

............लगातार

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
श्री मनोहरसिंह व अन्य बनाम श्री मिश्री व अन्य
राजस्व वाद संख्या 42/2012
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कनिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: